न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—180/2018/223 (2018/00180)

1. नारायणसिंह पुत्र उजीरासिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम मोयणा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मीरा पत्नी किशना, जाति रावत, नि0 ग्राम मोयणा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. गाजी पुत्र कम्मा, जाति रावत, निवासी ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 29.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 85/2013.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—30.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके रेस्पो0 संख्या 1/वादिया का 1/3 व रेस्पो0 संख्या 2 का 2/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दज्र है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात का आदिनांक तक विधिक विभाजन नहीं हो रखा है। अतः उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं वाद दायरी के बाद किसी भूभाग पर निर्माण किया जाता है तो उसे ध्वस्त कर पूर्व स्थिति लाने का आदेश पारित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.6.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को 2/3 हिस्से का तथा अपीलांट को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये । तत्त्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.6.2018 को निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री पारित की। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का

रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को आदेशिका दिनांक 19.10.2016 के अनुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उसके पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब हेतु अधी0न्याया0 में विचाराधीन रही जिसमें दिनांक 1.6.2018 को लोक अदालत के समक्ष पत्रावली को रखा जाकर एक मात्र रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में वाद को एकपक्षीय रूप से बिना जवाब का अवसर प्रदान किये तथा बिना साक्ष्य लिये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 को पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा इसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 पारित की गई जो भी विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के 1/3 हिस्से के विभाजन हेतु अनुतोष चाहा है एवं रेस्पो0 संख्या 2 का 2/3 हिस्सा निहित होना वर्णित किया है जिस पर रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उसके द्वारा 2/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से बाबत् बेनामा अपीलांट के पक्ष में किया जाकर स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में उक्त आराजी में सड़क के किनारे वाले हिस्से का विभाजन कर सुपुर्द किया जाना एवं सड़क के किनारे वाले 1/3 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा होना वर्णित किया है । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.8.2013 में स्पष्ट सीमाओं का अंकन किया हुआ है जिसके अनुसार अपीलांट वापदग्रस्त आराजी पर काबिज है । उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का बेचान अपीलांट के पक्ष में किया गया है जिसे बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से इसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री भी स्वतः ही निरस्तनीय है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने तथ्य छिपाकर एकतरफा डिक्री पारित करवाई है । अधी0न्याया0 ने भी विधिक प्रक्रिया अपनाये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम ड्रिकी दिनांक 29.6.2018 निरस्त की जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद निर्णय दिनांक 1.6.2018 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की तथा इस निर्णय प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 29.6.2018 को अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील संख्या 182/2018/223 (2018/00182) बउनवान नारायणसिंह बनाम श्रीमती मीरा पेश की गई थी जिसे हाजा न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित किये जाने से अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । जब अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 द्वारा निरस्त की जा चुकी है

तो उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 स्वतः ही सारहीन हो जाती है क्योंकि अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के आधार पर ही पारित की गई है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 सारहीन होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.6.2018 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर